

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/4251/

जबलपुर, दिनांक 24/09/2025

श्री सोनु मांझी, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को दिनांक 25.11.2024 से 10.01.2025 तक 47 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक A/4252/

जबलपुर, दिनांक 24/09/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/प्रशासन/1034-पी/2393 इंदौर दिनांक 25.08.2025 के संदर्भ में श्री सोनु मांझी, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर के नोटशीट दिनांक 20.02.2025, आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2025 एवं कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.12.2024 की छायाप्रति को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
3. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)